

प्रश्न सं. [क. 1298]

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

कमांक 21-1 / 2018 / 38-2
प्रा.

भोपाल दिनांक 21/3/18

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
भोपाल


विषय :- शासकीय महाविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पद निर्माण के संबंध में नीति निर्देश।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों के निर्माण किये जाने हेतु डी.पी.आर. बनाये जाने के संबंध में निम्नानुसार पद सृजन की नीति निर्धारित की जाती है :-

कं.	पदनाम	छात्र संख्या	पद	वेतनमान
1	रजिस्ट्रार	1000 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले सभी महाविद्यालयों में	1	लेवल-12
2	मुख्य लिपिक	—	1	लेवल-7
3	लेखापाल	—	1	लेवल-6
4	सहायक वर्ग 2	1000 तक	1	लेवल-6
		1000 से 2000	2	
		2000 से अधिक	3	
5	सहायक वर्ग 3	500 तक	1	आउटसोर्स
		1000 से 2000	2	
		2000 से अधिक	4	
6	भृत्य	200 तक	1	आउटसोर्स
		200 से 1000 तक	2	
		1000 से ऊपर	प्रति 500 पर 1 पद	
7	चौकीदार	प्रत्येक महाविद्यालय में न्यूनतम	3	आउटसोर्स
8	स्वीपर	प्रत्येक अतिरिक्त भवन हेतु	2	आउटसोर्स
		200 तक	1	आउटसोर्स
		200 से 1000 तक	2	
9	बुक लिफ्टर	1000 से उपर	3	
		प्रति 200 विद्यार्थी	1	आउटसोर्स


उपरोक्त तालिका अनुसार पद सृजित करने हेतु प्रावधान डी.पी.आर. में किया जाए।


(डॉ जयश्री. मिश्रा)
अपर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल दिनांक 21/3/18

पृ कमांक 21-1 / 2018 / 38-2

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन।


अपर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग